न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 41/2013/अपील

1. बसन्ती देवी पुत्री मदन ज्योतगी उम्र 50 वर्ष जाति ज्योतगी नि. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद पत्नी श्री सायरमल ज्योतगी नि. महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—अपीलार्थीनी

बनाम

1. सीताराम | पुत्रगण मदन जाति जोतगी निवासीगण ग्राम रैवासा
2. रतन | तहसील दांतारामगढे जिला सीकर
3. महावीर |
4. ग्राम पंचायत, रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच
5. श्यानादेवी पुत्री मदन ज्योतगी उम्र 62 वर्ष जाति ज्योतगी नि. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद पत्नी श्री जगदीश ज्योतगी नि. किशन मानपुरा तहसील श्रीमामाधोपुर जिला सीकर
6. चूकी देवी पुत्री मदन ज्योतगी उम्र 45 वर्ष जाति ज्योतगी नि. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद पत्नी प्रभुदयाल जाति ज्योतगी नि. महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
7. फुली देवी पुत्री मदन ज्योतगी उम्र 48 वर्ष जाति ज्योतगी नि. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद पत्नी श्री सांवरमल जाति ज्योतगी नि. ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
8. प्रभाती पुत्र मदन ज्योतगी उम्र 43 वर्ष जाति ज्योतगी नि. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद पत्नी श्री दामोदर जाति ज्योतगी नि. ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झूंझुनूं
9. धन्नी देवी पुत्री मदन ज्योतगी उम्र 40 वर्ष जाति ज्योतगी नि. रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद पत्नी श्री कैलाशचन्द्र जाति ज्योतगी नि. चितावा जिला नागौर

—रेस्पोंडेटस

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 958 दि0 ''निल'' द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री शिवपालसिंह वकील अपीलार्थीनी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील रेस्पो0 सं. 4 ता 9 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 31.01.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 1 ता 3 व रेस्पे. 4 ता 9 मदन पुत्र घीसा जोतगी निवासी रैवासा के जायन्दा पुत्र—पुत्रियां है जिसके एकमात्र खातेदारी की भूमि पुराना खसरा नं. 919 रकबा 6 बीघा तथा अन्य

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

सहखातेदारों के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमियां पुराने खसरा नं. 670 व 1229/3 ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित थी जिनकी मृत्यु के पश्चात् उसकी विरासत का ना.करण अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार मदन पुत्र घीसा जोतगी के केवल जाईन्दा पुत्रों सीताराम, रतन व महावीर के नाम ही अपीलाधीन ना0करण के माध्यम से तस्दीक कर दिया गया। उसकी जायंदा पुत्रियों श्याना, बसंती, चूकी, फूली, प्रभाती व धन्नी का नाम ना.करण में अंकित नही किया गया जबकि अपीलांट सहित अन्य जायंता पुत्रियों के नाम भी ना.करण तस्दीक किया जाना विधि अनुसार अनिवार्य था। अपीलांट ग्रामीण प्रवृति की अनपढ महिला होने की वजह से उसे पूर्व में अपीलाधीन ना.करण के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 24.10.2013 को अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमियों में से अपने हक, हिस्से की भूमि की देखभाल करने जाते समय रेस्पो. सं. 1 ता 3 द्वारा अपीलांट को उसका वादग्रस्त भूमियों की विरासत में नाम नहीं जुड़ने के आधार पर खातेदारी नही होने की धमकी देते हुए उसे वादग्रस्त भूमियों पर जाने से रोकने की कुचेष्टा की गयी। इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 24.10.2013 को अपीलाधीन ना.करण के बारे में जानकारी करके अपीलाधीन ना.करण की नकल हेतु आवेदन पेश करके दिनांक 28.10.2013 को अपीलाधीन ना.करण की नकल प्राप्त की तो अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन ना.करण के बारे में जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है क्योंकि अपीलाधीन ना.करण विरूद्ध कानून एवं विरूद्ध पत्रावली है। उक्त ना.करण तस्दीक करने से पूर्व मृतक खातेदार मदन जोतगी के समस्त श्रेणी के उतराधिकारीगण के बारे में जांच नहीं की गयी। अपीलाधीन ना.करण तस्दीक के समय अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 5 ता 9 स्व. मदन जोतगी की प्रथम श्रेणी उतराधिकारीगण के रूप में मौजूद थी जिनको दरकिनार करते हुए उक्त ना.करण भरा गया होने की वजह से ना.करण निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त ना.करण तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा विधि एवं नियमों की पालना नहीं की गयी। उपरोक्त ना0करण तस्दीक करने से पूर्व वादग्रस्त भूमियों के कब्जे की जांच नहीं की गयी। उपरोक्त ना.करण तस्दीक किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 5 ता 9 को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं किया गया तथा ना ही उक्त ना.करण मजमें आम में तस्दीक किया गया। अपीलांट को अपीलाधीन ना.करण के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पायी, क्यांकि वह कानून कायदों से अनभिज्ञा ग्रामीण प्रवृति की निरक्षर महिला है। दिनांक 24.10.13 को अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमियों में से अपने हक हिस्से की भूमि की देखभाल करने जाते समय रेस्पो. सं. 1 ता 3 द्वारा अपीलांट को उसका वादग्रस्त भूमियों की विरासत में नाम नहीं जुड़ने के आधार पर खातेदारी नहीं होने की धमकी देते हुए उसे वादग्रस्त भूमियों पर जाने से रोकने की कुचेष्टा की गयी। इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 24.10.13 को अपीलाधीन ना.करण के बारे में जानकारी करके अपीलाधीन ना.करण की नकल हेतु आवेदन पेश करके दिनांक 28.10.2013 अपीलाधीन ना.करण की नकल प्राप्त की तो अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन ना. करण के बारे में जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में अलग से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन ना.करण

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

प्रारम्भतः ही शून्य ना.करण की श्रेणी में आता ह। इसलिए ऐसे मामले में मियाद बिन्दु गौण होते है। अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 5 ता 9 के हित समान है परन्तु वे अपीलांट के साथ अपील दायरी में साथ शामिल नहीं हुई। इसलिए उन्हें रेस्पो. के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन ना.करण सं. 958 दिनांक "निल" द्वारा ग्राम पंचायत, रैवासा निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त ना.करण में वर्णित भूमियों के बाबत मृतक खातेदार मदन पुत्र घीसाराम जोतगी के समस्त वारिसों के नाम ना.करण तस्दीक किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 5 ता 9 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह रणवां हाजिर हुए।

3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थीनी ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 1 ता 3 व रेस्पो. से. 5 ता 9 मृतक मदन पुत्र घीसा जोतगी नि. रैवासा के जायंदा पुत्र–पुत्रियां है जिसके खातेदारी की भूमि पुराने ख0नं0 919 रकबा 6 बीघा एवं संयुक्त खातेदारी भूमियां ख. नं. 670 व 1229/3 वाके ग्राम रैवासा अवस्थित है। खातेदार की मृत्यु के पश्चात् विरासत का ना.करण अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार मदन के जायंदा पुत्रों सीताराम, रतन व महावीर के नाम ही अपीलाधीन ना.करण के माध्यम से तस्दीक कर दिया गया। उसकी जायंदा पुत्रियों श्याना, बसंती, चूकी, फूली, प्रभाती व धन्नी का नाम ना.करण में अंकित नहीं किया गया जबकि अपीलार्थीनी सहित अन्य जायंदा पुत्रियों के नाम भी ना.करण तस्दीक किया जाना विधि अनुसार अनिवार्य था। अपीलार्थीनी व रेस्पो. सं. 5 ता 9 स्व. मदन जोतगी की प्रथम श्रेणी उतराधिकारीगण के रूप में मौजूद थी। उपरोक्त ना.करण तस्दीक किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा अपीलार्थीनी एवं रेस्पो. सं. 5 ता 9 को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उक्त ना.करण की जानकारी दिनांक 24.10.2013 को हुई एवं दिनांक 28.10.2013 को नकल प्राप्त करके दिनांक 29.10.2013 को अपील पेश की गई। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्बर क्षमा दिये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में आवेदन 5 दफा मियाद अधिनियम का अलग से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 958 दिनांक "निल" द्वारा ग्राम पंचायत, रैवासा निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त ना.करण मं वर्णित भूमियों के बाबत मृतक खातेदार मदन पुत्र घीसाराम जोतगी के समस्त वारिसों के नाम ना.करण तस्दीक किये जाने की कृपा करें। इसके विपरीत रेस्पे. सं. 5 ता 9 ने अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस की जाकर बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पो. सं. 5 ता 9 मृतक मदन के विधिक वारिस है तथा रेस्पो. सं. 1 ता 3 के हक अधिकार के समान विवादित आराजियात में अपीलार्थीनी एवं हम रेस्पो. सं. 5 ता 9 का बराबर बराबर हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपील अपीलार्थीनी स्वीकार किये जाने में हम रेस्पो. सं. 5 ता 9 को कोई आपति नहीं है।

4. हमने वकील अपीलार्थीनी एवं रेस्पो.सं. 5 ता 9 के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थीनी द्वारा अपील के साथ विलम्ब को कण्डोन करने हेतु आवेदन अं.धारा 5

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़

मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से आवेदन अं.धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। विवादित ना.करण सं. 958 दिनांक "निल" द्वारा ग्राम पंचायत, रैवासा के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजियात ख.नं. 919, 670, 1229 के सम्बन्ध में मदनलाल पुत्र घीसा के स्थान पर सीताराम, रतन, महावीर पि. मदन के नाम अंकन किया गया है। अपील मेमो अनुसार मृतक मदन के वारिस सीताराम, रतन व महावीर पि. मदन के अतिरिक्त अपीलार्थीनी बसन्ती देवी व रेस्पो. सं. 5 ता 9 मृतक मदन के विधिक वारिस है उक्त कथन का वकील रेस्पो. द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि मृतक मदन जोतगी के रेस्पो. सं. 1 ता 3 के अलावा अपीलार्थीनी व रेस्पो. सं. 5 ता 9 भी विधिक वारिस है जिनके नाम विवादित ना.करण भरा जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर विवादित ना. करण सं.958 दिनांक "निल" द्वारा ग्राम पंचायत, रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतक मदन के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर ना.करण पुनः दर्ज करवाकर तस्दीक करें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 31.01.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़